सत्यमेव जयते

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
भारत सरकार

आश्रय

त्रैमासिक न्यूजलेटर

सबका सपना, घर हो अपना

प्रधानमंत्री आवास योजना– सबके लिए आवास (शहरी)

"मेरे मन में सपना है कि 2022 में, जब भारत के 75 साल हो तब तक हमारे देश में कोई परिवार ऐसा न हो, जिसके पास रहने के लिए अपना घर न हो।"

~ नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

खंड 1, अंक 1, अप्रैल – जून, 2016, नई दिल्ली

अंक के प्रमुख अंश:

- प्रधानमंत्री आवास योजना–सबके लिए आवास (शहरी)
- पीएमएवाई के घटक (शहरी)
- मिशन की प्रमुख विशेषताएं
- ऋण आधारित सब्सिडी स्कीम
- प्रौद्योगिकी उप–मिशन
- आन्ध्र प्रदेश सरकार के कार्यक्रम
- प्री–फेब प्रौद्योगिकी अपनाना
- प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस)
- स्थान प्रौद्योगिकी टूल्स का उपयोग (जियो–टेगिंग)
- पीएमएवाई (शहरी) जेएनएनयूआरएम और आरएवाई में कैसे सुधार किया
- क्षेत्रीय कार्यशालाएं

एम. वेंकैया नायडु
आवास और शहरी गरीबी उपशमन,
शहरी विकास और संसदीय कार्य मंत्री
भारत सरकार

संदेश

मैं हमारे नए प्रकाशन न्यूजलेटर 'आश्रय' के लिए आपका अभिनंदन करता हूं। इसमें आपको प्रमुख स्कीमों और सेवाओं के बारे में व्यापक सूचना और आयोजनों/कार्यशालाओं तथा लाभार्थी फीडबैक के बारे में जानकारी मिलेगी।

जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने मेडीसन स्क्वायर, यूएसए में अपने भाषण के द्वारा श्रोताओं को सम्बोधित करते हुए उल्लेख किया कि "मेरे मन में सपना है कि 2022 में, जब भारत के 75 साल हो तब तक हमारे देश में कोई परिवार ऐसा न हो, जिसके पास रहने के लिए अपना घर न हो", हम इस लक्ष्य को 2022 तक प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहे हैं।

मेरे मंत्रालय की प्राथमिकता में सभी लाभार्थियों को सुरक्षित और किफायती आवास मुहैया कराना है। यह समदायों को सक्षम और स्वस्थ बनाने की दिशा में पहला कदम है जिसमें वैयक्तिक और परिवार स्मृद्ध बन सकते हैं।

इस न्यूजलेटर में सरकार की तैयार की गई अपनी प्रमुख स्कीमों/मिशनों और पहलों के प्रति वर्तमान वचनबद्धताओं पर प्रकाश डाला गया है जिससे देश की आवास आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और सभी राज्यों में सकारात्मक वृद्धि और विकास को प्रोत्साहित किया जा सके। वर्तमान अंक में प्रधान मंत्री आवास योजन–सबके लिए आवास (शहरी) शामिल है।

मैं आपके विचारों और टिप्पणियों का स्वागत करता हूँ और मिलकर कार्य करते हुए समुदायों को स्वस्थ और भारत को मजबूत बनाने के लिए आशांन्वित हूँ मैं आप सभी को सभी पात्र लाभार्थियों में इस प्रमुख स्कीम के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अनुरोध करता हूँ ताकि उन्हें अपने सपनों का आश्रय मिल सके।

किफायती आवास से लाभार्थियों के जीवन में सुधार आएगा और आस–पड़ोस भी सक्षम बनेगा जबकि देश की समग्र अर्थव्यवस्था में भी योगदान मिलेगा।

मैं इस न्यूजलेटर के शुभारंभ पर मिशन निदेशालय को बधाई देता हूँ।

भवदीय,

(एम. वेंकेया नायडु)

बाबुल सुप्रियो
आवास और शहरी गरीबी उपशमन एवं शहरी विकास राज्य मंत्री
भारत सरकार

संदेश

इस न्यूजलेटर से राज्यों, शहरी स्थानीय निकायों और लाभार्थियों को महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना–सबके लिए आवास (शहरी) के अंतर्गत आर्थिक रूप से सभी कमजोर और निम्न आय वर्गों परिवारों को आगे आने और लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए गर्व है। यह प्रथम बार है कि निम्न आय वाले परिवारों और व्यक्तियों को पीएमएवाई–एचएफए (शहरी) स्कीम के चार घटकों में एक घटक के लिए आवेदन करने का अवसर मिल रहा है।

मंत्रालय का आशय नवीन प्री–कास्ट, हरित और नई भवन प्रौद्योगिकियां अपनाकर आवासों की गुणवत्ता में सुधार करना है जो किफायती हैं और जिनका निर्माण तीव्र हो सकता है। इन नई प्रौद्योगिकियों के लिए क्षेत्रीय स्तर पर स्वीकार्यता से सरकार को वर्ष 2022 तक सब के लिए आवास का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

हम राज्यों, शहरी स्थानीय निकायों और लाभार्थियों से मंत्रालय द्वारा की गई नई पहलों के बारे में विचारों, टिप्पणियों और अनुभवों को साझा करने संबंधी सूचना प्राप्त करने के लिए आग्रह करते हैं।

हम मंत्रालय में सभी राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों और लाभार्थियों से भिन्न भिन्न रूप से जुड़ना चाहते हैं ताकि सभी सोशल मीडिया के माध्यम से मित्र बन सकें। प्रत्येक व्यक्ति के अनेक अनुभव हो सकते हैं, जिन्हें वह मंत्रालय के साथ साझा करना चाहेंगे, आप हमें बता सकते हैं और हम उसे न्यूजलेटर के आगामी अंक में शामिल करेंगे।

(बाबुल सुप्रियो)

आवास पर प्रधानमंत्री का ट्वीट

21 फरवरी, 2016
Narendra Modi @narendramodi
आवास योजना का अनेक लोगों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव होगा और हमारे 'सबके लिए आवास' के सपने को साकार करने में प्रोत्साहन मिलेगा।

21 नवम्बर, 2015
PMO India@PMOIndia
हमने 'सबके लिए आवास' कार्यक्रम आरंभ किया है। इसमें 20 मिलियन शहरी आवासों और 29.5 मिलियन ग्रामीण आवासों का निर्माण करना शामिल है।
PM:@narendermodi

6 जनवरी 2015
Narendra Modi @narendramodi
पर्यटन, डिजिटल कनेक्टीविटी, सभी के लिए आवास जैसे क्षेत्रों सहित जम्मू और कश्मीर के विकास के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बोले।

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा नया रायपुर, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आधारशिला रखा जाना

डॉ. नंदिता चटर्जी
सचिव
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
भारत सरकार

संदेश

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू की है जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक सभी पात्र शहरी गरीब परिवारों को आवास प्रदान करना है । मिशन में दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक राज्य परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान करेंगे जिन्हें शहरों द्वारा डिजाइन किया जाएगा ताकि इसके लाभार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

इस मिशन के कार्यान्यन में राज्य और शहर जैसे–जैसे आगे बढ़ेंगे, अभिनव विचार और सर्वोत्तम पद्धतियां आएंगे जिनसे यह पता चलेगा कि कैसे राज्य इस मिशन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने स्थानीय संसाधनों तथा स्थानीय क्षमता का कुशलतापूर्वक उपयोग कर रहे हैं ।

इस न्यूजलेटर को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) पर सूचना के प्रचार–प्रसार के लिए डिजाइन किया गया है । यह सर्वोत्तम पद्धतियों को राज्यों के साथ–साथ राज्यों और शहरों के मध्य साझा करने का मंच भी होगा ।

इस न्यूजलेटर का लक्ष्य संभावित लाभार्थियों के मध्य जागरूकता लाना भी है जो मिशन में भागीदारी करेंगे । इस मिशन में निजी भागीदारों के रूप में स्वयं को जोड़ने वाले विकासक और निर्माता भी इस न्यूजलेटर के माध्यम से विशेषकर निर्माण में नवीन प्रौद्योगिकी और अभिनव प्रक्रिया पर सूचना प्राप्त कर सकेंगे ।

आशा करती हूँ कि मिशन निदेशालय का यह प्रयास सफल रहे ।

(एन. चटर्जी)

परियोजना प्रगति – छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ इस मिशन के शुभारंभ के पश्चात पीएमएवाई(शहरी) के अंतर्गत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला प्रथम राज्य था ।.

द्वितीय सीएसएमसी में 12670 ईडब्ल्यूएस आवासों के निर्माण हेतु 9 कस्बों से कुल 11 एएचपी परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता अनुमोदित की गयी थी ।

राज्य ने तीव्र गति से निर्माण कार्य शुरू किया है । राज्य द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, कुल 710 रिहायशी इकाईयां पूर्ण हो चुकी तथा अन्य पूर्णता के नजदीकी चरण में हैं ।

छत्तीसगढ़ राज्य पीएमएवाई के अंतर्गत आवासों के प्रथम सेट को पूरा करने में अग्रणी राज्य बन गया है ।

छत्तीसगढ़ में पी एम ए वाई (शहरी) के अंतर्गत आवास परियोजना

प्रधानमंत्री आवास योजना–
सबके लिए आवास (शहरी)

सरकार ने 'वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास' के विजन के साथ शहरी गरीबों की आवासीय कमी को पूरा करने हेतु एक मुख्य कार्यक्रम 'प्रधानमंत्री आवास योजना–सबके लिए आवास (शहरी)' शुरू किया है।

सरकार की इस वचनबद्धता के अनुसरण में, 25 जून, 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) शुरू की गई है। पीएमएवाई में बुनियादी सुविधाओं वाले 2 करोड़ मकानों के निर्माण की परिकल्पना की गई।

प्रधानमंत्री आवास योजना–सबके लिए आवास (शहरी) के घटक

निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक का चयन करके सभी शहरी गरीबों को शामिल करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया है:

क) स्लम पुनर्वासः ऐसी सभी परियोजनाओं में सभी पात्र स्लमवासियों के लिए औसतन प्रति मकान एक लाख रूपए का स्लम पुनर्वास अनुदान ।

ख) ऋण आधारित सब्सिडी के माध्यम से किफायती आवास को प्रोत्साहनः ईडब्ल्यूएस/एलआईजी दोनों श्रेणियों के लिए 6.5 प्रतिशत की ब्याज दर की सहायता।

ग) सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के साथ भागीदारी में किफायती आवासः ऐसी परियोजनाओं में 1.5 लाख रूपए प्रति ईडब्ल्यूएस मकान के लिए सहायता, जहां 35 प्रतिशत मकान अनिवार्य रूप से इडब्ल्यूएस के लिए हैं।

घ) लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण अथवा विस्तार के लिए सब्सिडी: स्लमों अथवा राज्यों/शहरों द्वारा बनाई जाने वाली परियोजनाओं में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए प्रति आवास 1.5 लाख रूपए।

मिशन में सभी सांविधिक कस्बों तथा ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणियों से संबंधित लाभार्थियों को शामिल किया जायेगा। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को मिशन में सांविधिक कस्बों से संबंधित यथा अधिसूचित योजना क्षेत्र और जो संबंधित नगर निगम क्षेत्र में आता हो को शामिल करने की छूट होगी।

ऋण आधारित सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) घटक, केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम है जबकि अन्य 3 घटकों को केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के रूप में कार्यान्वित किया जायेगा।

मिशन की विशेषताएं

- लाभार्थी को ऐसे परिवार के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे हों। इसके अतिरिक्त, इस मिशन के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए लाभार्थी के पास पात्र होने हेतु भारत में कहीं भी कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
- 3 लाख रूपए तक की आय को ईडब्ल्यूएस श्रेणी के रूप में और 3 से 6 लाख रूपए की आय को एलआईजी श्रेणी के परिवार के रूप में परिभाषित किया गया है।
- ईडब्ल्यूएस मकान का आकार–30 वर्ग मीटर है, राज्य सरकार इसे घटा–बढ़ा सकते हैं लेकिन केन्द्रीय सहायता निश्चित है।
- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र लाभार्थी को उस शहरी क्षेत्र का निवासी होने की अनिवार्य पात्रता के लिए अंतिम तिथि निर्धारित कर सकते हैं।
- लाभार्थी से आधार कार्ड/बैंक खाता संख्या/पैन नं0 (यदि उपलब्ध हो) अथवा लाभार्थी के मूल निवास जिले के राजस्व प्राधिकरण से मकान स्वामित्व का प्रमाण पत्र अपेक्षित है।

पीएमएवाई (यू) की संचयी प्रगति

पीएमएवाई के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा 7.26 लाख मकानों की अनुमति दी गई है और राज्यों को 1911.20 करोड़ रूपए की केन्द्रीय सहायता जारी की गई है। ऋण आधारित सब्सिडी स्कीम में, 10 महीने की अवधि में 7,776 से अधिक लाभार्थियों को ऋण सब्सिडी प्रदान करने के लिए 200 करोड़ रूपए की धनराशि जारी की गई।

क्र.सं.	विवरण	संख्या
1.	राज्यों के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन	33
2.	निर्धारित एसएलएनए	33
3.	गठित एसएलएसएमसी	31
4.	अनुमोदित शहर	2625
5.	शामिल राज्य	19
6.	परियोजनाओं की संख्या	957
7.	ईडब्ल्यूएस मकानों की संख्या	7,25,700

- महिला सशक्तीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए, पीएमएवाई के अंतर्गत अधिगृहित किए जाने वाले आवास अधिमानतः परिवार की महिला मुखिया के नाम पर अथवा परिवार के पुरूष मुखिया और उसकी पत्नी के संयुक्त नाम पर होना चाहिए ।

- राज्य स्तर पर परियोजना अनुमोदन ।

ऋण आधारित सब्सिडी स्कीम

इस स्कीम के अंतर्गत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्ग की ऋण लेने वाली महिलाओं सहित सभी व्यक्ति पर्याप्त रूप से कम समान मासिक किस्त (ईएमआई) का भुगतान करके परिवार के लिए प्रथम पक्का आवास अर्जित करने और निर्मित करने के लिए सक्षम होंगे ।

यह स्कीम बैंकों/वित्तीय संस्थानों के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी ।

स्कीम की प्रमुख विशेषताएं

कवरेज

जनगणना 2011 के अनुसार सभी सांविधिक कस्बे और इसके बाद में अधिसूचित कस्बे ।

उद्देश्य

नए निर्माण, अधिग्रहण और विस्तारित आवास के रूप में मौजूदा आवास में कमरे, रसोई, शौचालय आदि बनाने ।

लाभार्थी

- लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल होंगे ।
- 3,00,000/– तक की वार्षिक आय वाले ईडब्ल्यूएस परिवार ।
- 3,00,000/– से 6,00,000/– तक की वार्षिक आय वाले एलआईजी परिवार ।
- स्कीम के अंतर्गत प्राथमिकता हाथ से मैला उठाने वाले, महिलाओं (विधवाओं को अधिक प्राथमिकता दी जाएगी), अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़े वर्गों /अल्प संख्यकों, विकलांग व्यक्तियों और ट्रांसजेंडर को दी जाएगी । बशर्ते कि लाभार्थी ईडब्ल्यूएस / एलआईजी वर्ग से संबंधित हो ।

क्षेत्र जिसका निर्माण किया जा सकता है

मिशन के इस घटक के अंतर्गत निर्मित अथवा विस्तारित किए जा रहे आवास का कारपेट क्षेत्र ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 30 वर्ग.मी. तक और एलआईजी वर्ग के लिए 60 वर्ग मी. तक होना चाहिए ।

सब्सिडी और ऋण का ब्यौरा

- अधिकतम ऋण राशि : बैंक / वित्तीय संस्थान द्वारा निर्णय लिए गए पर्याप्त श्रम के आधार पर उपभोक्ता की पात्रता के अनुसार ।
- अधिकतम ऋण अवधि : बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार।
- सब्सिडी की संगणना के लिए अधिकतम अवधि : 15 वर्ष अथवा ऋण की अवधि, जो भी कम हो ।
- सब्सिडी संगणना के लिए अधिकतम ऋण राशि : 6 लाख रू.
- सब्सिडी के लिए ब्याज दर : 6.5%
- लाभार्थी अपने विवेक से बड़े क्षेत्र पर आवास बना सकता है लेकिन ब्याज सहायता केवल प्रथम 6 लाख रू. तक सीमित होगी ।

प्रौद्योगिकी उप–मिशन

देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए हरित एवं पर्यावरण हितैषी, आपदा रोधी तकनीकियों एवं देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए उपयुक्त ले–आउट को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के भाग के रूप में एक तकनीकी उप–मिशन का शुभारम्भ किया गया है । मंत्रालय ने तकनीकी समाधानों, क्षमता निर्माण एवं राज्यों और शहरों के हेंड–होल्डिंग के विकास के लिए 13 आईआईटी एवं 25 एनआईटी के साथ साझेदारी की है ।

तकनीकी उपमिशन का निम्न पर ध्यान केन्द्रित है :

- प्रारूप एवं योजना

- भू–जलवायु परिस्थितियों, भूकम्प रोधी तकनीकियों, हरित, पर्यावरणीय सुस्थिर तकनीकियों एवं वैकल्पिक कम लागत तकनीकियों को ध्यान में रखकर तकनीकी समाधान ।

- कार्यकारी निदेशक, बीएमटीपीसी, नई दिल्ली एवं सड़कों एवं भवनों के ईएनसी, पंचायती राज, आवास निगम, आवास बोर्ड एवं आईआईटी से सदस्यों एवं अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों,

निदेशक–सीबीआरआई एवं नई दिल्ली से वास्तुशिल्पियों की अध्यक्षता के अंतर्गत एक तकनीकी समिति गठित की गई ।

- विस्तृत विचार–विमर्शों के पश्चात कार्यान्वयन के लिए 7 प्रौद्योगिकियों को अंतिम रूप दिया गया :

  – दीवारों और छत के स्लेबों के लिए ग्लास फाइबर प्रबलित जिप्सम पैनल ।

  – दीवार और छत बनाने के लिए विस्तारणीय पॉलिसटिरेन पैनल ।

  – हल्के गेज वाली इस्पात अवसंरचनाएं ।

  – पूर्व–ढली (प्री–कास्ट) कंकरीट प्रणाली (3–एस) (पूर्व–गढ़ प्रौद्योगिकी)

  – प्लासटिक/अल्युमिनियम फार्म कार्य से मोनोलिथिक कंकरीट दीवारें ।

  – ऐरोकोन पैनलोंध्पीयूएफ पैनलों सहित इस्पात फ्रेम ।

  – वेफ्फल क्रिट पूर्व–ढली कंकरीट पैनल

आंध्र प्रदेश सरकार के कार्यकलाप

आंध्र प्रदेश सरकार आवास और शहरी विकास मंत्रालय उपशमन के लिए सहयोग कर रही है।

आंध्रप्रदेश मे हुड हुड चक्रवात पीड़ितों (श्री काकुलम, विजियानगरम और विशाखापट्टनम जिलों) के लिए वैकल्पिक निर्माण प्रौद्योगिकियों को अंतिम रूप देने के पश्चात यात्रा शुरू हुई।

प्रि–फैब प्रौद्योगिकी को अपनाना

- तदनुसार हुड हुड चक्रवात आवास के लिए कार्य इस प्रकार है :–

  – दीवार और छत बनाने के लिए ईपीपीएस पैनल (श्री काकुलम जिला – 480 आवास)

  – एएसी ब्लाकों से इस्पात फ्रेम (विशाखापट्टनम जिले में – 233 आवास)

  – एएसी ब्लाकों से इस्पात फेम (विजियानागरम जिले में – 396 आवास)

- बीएमटीपीसी सहित नल्लौर जिले में (40 आवास) दीवारों और छत–स्लेबों के लिए जीएफआरजी पैनलों से एक माडल कालोनी को भी शुरू किया गया ।

प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस)

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एक केन्द्रीकृत वेब समर्थित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) विकसित की गई है जिसको www.pmaymis.gov.in की वेबसाइट पर देखा जा सकता है ।

यह प्रणाली मंत्रालय, राज्य सरकार, एसएलएनए, शहरी स्थानीय निकायों और अन्य हितधारकों में एक सेतु का काम करती है और अनुमोदित परियोजनाओं, सर्वेक्षण ब्यौरों, लाभार्थी सूचना इत्यादि की अवसंरचित सूचना के एक स्रोत के रूप में कार्य करती है ।

पीएमएवाई–एमआईएस के बारे में प्रशिक्षण कार्यक्रम

13 राज्यों अर्थात आंध्र पद्रेश, ओडिशा, गुजरात, छत्तीसगढ, मध्यप्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, मिजोरम, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और तेलगांना के लिए 19 फरवरी, 2016 को कक्ष सं0 123–सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली में पीएमएवाई–एमआईएस पर पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया । 18 फरवरी, 2016 को आयोजित छठी सीएमएमसी तक उपर्युक्त राज्यों के लिए परियोजनाओं पर विचार किया गया ।

आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रीफैब प्रोद्योगिकी का उपयोग करते हुए निर्माण किये जा रहे आवास

एन आर एस सी, आई एस आर ओ, हैदराबाद में 21–22 अप्रैल 2016 को आयोजित प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टी ओ टी)

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उपस्करों का उपयोग (जियो–टैगिंग)

प्रधानमंत्री आवास योजना– सबके लिए आवास (शहरी) में यह परिकल्पना है कि 'लाभार्थी' आधारित घटक' के अंतर्गत निर्मित अलग–अलग आवासों की प्रगति का जियो–टैग्ड फोटोग्राफों के माध्यम से खोज–खबर रखी जानी चाहिए ताकि प्रत्येक आवास की कारगर ढंग से निगरानी की जा सके । इस मंत्रालय ने मिशन के दिशानिर्देशों के उपर्युक्त प्रावधान का अनुपालन करने के लिए 'राष्ट्रीय दूरस्थ संवेदन केन्द्र' (एनआरएससी), हैदराबाद के साथ एक समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं । पीएमएवाई–एचएफए (शहरी) के अंतर्गत विकसित एमआईएस को जियो–टैगिंग के लिए एनआरएसी भुवन सर्वर के साथ मिला दिया गया है ।

जियो–टैगिंग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

21–22 अप्रैल, 2016 को एनआरएससी, इसरो परिसर, हैदराबाद में जीआईएस–एमआईएस एकीकरण की बेहतर जानकारी में मदद करने हेतु एक दो–दिवसीय 'प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण' (टीओटी) कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें 19 राज्यों ने भाग लिया । पहले दिन संयुक्त सचिव (आवास) और दूसरे दिन संयुक्त सचिव और प्रबंध निदेशक (एचएफए) ने इस समारोह की अध्यक्षता की और एनआरएससी, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस समारोह में भाग लिया ।

जेएनएनयूआरएम तथा आरएवाई से पीएमएवाई(शहरी) कैसे उन्नत है

- मिशन स्लमों के साथ–साथ गैर–स्लम क्षेत्रों से शहरी गरीबों पर ध्यान केन्द्रित करना है ।
- लाभार्थियों की पहचान आधार, पीएम जन–धन योजना से सम्बद्ध मांग निर्धारण से करना ।
- मिशन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सहकारी संघवाद को ध्यान में रखकर वित्तीय सम्पूरकता, विधिक और प्रौद्योगिकीय सहयोग के लिए राज्यों के साथ भागीदारी ।
- परियोजनाओं का अनुमोदन और उनमें आशोधन राज्य स्तर पर ।
- राज्यों को एक मुश्त राशि जारी करना, राज्यों द्वारा यूएलबी / कार्यान्वयन एजेंसियों का परियोजना वार, प्रगति के आधार पर राशियां जारी की जायेंगी ।
- ब्याज सहायता पर सब्सिडी बढ़ा दी गई है ।
- आवासों के निर्माण के लिए आधुनिक, अभिनव और हरित–प्रौद्योगिकियों और सामग्रियों को अपनाना ।
- पीएमएवाई–एचएफए मिशन का शहरी विकास मंत्रालय, डीआईपीपी, एमओआर, एमओएल एंड ई, एमओएच एंड एफडब्ल्यू और एमओएचआरडी से अभिसरण की संकल्पना ।
- जागरूकता पैदा करने और लाभार्थियों और अन्य हितधारकों में पहुंच बनाने के लिए एक सतत सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) प्रणाली ।

उत्तरी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय कार्यशाला

पीएमएवाई–एचएफए (शहरी) पर पहली उत्तर क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन लखनऊ में 11 मार्च, 2016 को किया गया । कार्यशाला का उद्देश्य मिशन के दिशानिर्देशों और विभिन्न घटकों का प्रचार करना, पीएमएवाई, आरएवाई और जेएनएनयूआरएम कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करना तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए राज्यों /संघ शासित प्रदेशों से फीडबैक प्राप्त था । एक दिवसीय कार्यशाला का उदघाटन श्री एस.पी.सिंह, प्रधान सचिव (आवास), उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया । श्री अमृत अभिजात, संयुक्त सचिव तथा मिशन निदेशक (एचएफए) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने की–नोट वक्तव्य प्रस्तुत किया । उत्तराखण्ड, बिहार और उत्तर प्रदेश से पीएमएवाई–एचएफए से सम्बद्ध वरिष्ठ अधिकारियों ने इस कार्यशाला में भाग लिया। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, पीएमयू सदस्यों, बीएमटीपीसी और हुडको द्वारा प्रस्तुतीकरण दिये गए । कार्यशाला ने मिशन के कार्यान्वयन पर भाग लेने वाले राज्यों को एक–दूसरे से विचार विमर्श करके काफी कुछ जानने का एक अच्छा अवसर प्रदान किया ।

लखनऊ में 11 मार्च, 2016 को आयोजित पूर्वी क्षेत्र के लिए पी एम ए वाई–एच एफ ए (शहरी) पर क्षेत्रीय कार्यशाला

पश्चिमी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय कार्यशाला

पीएमएवाई–एचएफए (शहरी) पर पहली पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन मुम्बई में 21 मार्च, 2016 को किया गया । कार्यशाला का उद्देश्य मिशन के दिशानिर्देशों और विभिन्न घटकों का प्रचार करना, पीएमएवाई, आरएवाई और जेएनएनयूआरएम कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करना तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए राज्यों /संघ शासित प्रदेशों से फीडबैक प्राप्त करना । एक दिवसीय कार्यशाला का उदघाटन मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार ने किया । सचिव, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने की–नोट वक्तव्य प्रस्तुत किया । श्री अमृत अभिजात, संयुक्त सचिव तथा मिशन निदेशक (एचएफए) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने प्रस्तुतीकरण दिया और मिशन के उद्देश्यों तथा परिणामों पर प्रकाश डाला । महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और गोवा राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस कार्यशाला में भाग लिया । कार्यशाला ने मिशन के कार्यान्वयन पर भाग लेने वाले राज्यों को एक–दूसरे से विचार विमर्श करके काफी कुछ जानने का एक अच्छा अवसर प्रदान किया ।

मुंबई में 21 मार्च, 2016 को आयोजित पश्चिमी क्षेत्र के लिए पी एम ए वाई–एच एफ ए (शहरी) पर क्षेत्रीय कार्यशाला

सत्यमेव जयते
संयुक्त सचिव और मिशन निदेशक
(सभी के लिए आवास)
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार
कमरा नं –116, जी विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली – 110011

दूरभाषः 011-23061419; फैक्सः 011-23061420
ईमेलः jshfa-mhupa@nic.in
वेबसाइटः http://mhupa.gov.in